संख्या-64/2016/1107/नौ-5-16-125बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद) ।
2- अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, झींझक (कानपुर देहात) ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2016

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत निकायों को द्वितीय/आगामी किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'नगरीय जल निकासी योजना'** के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न निकायों को विभिन्न शासनादेशों द्वारा जल निकासी हेतु नालों के निर्माण के लिये उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम/आगामी किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है। सन्दर्भित निकाय द्वारा प्रथम/द्वितीय किश्त की धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। अतः सूचीबद्ध निकायों को उनके अनुरोध के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 में चालू कार्यो हेतु नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय/आगामी किश्त के रूप में कुल <u>₹ 30.05 लाख (रू0 तीस लाख पांच हजार मात्र)</u> की धनराशि निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	जनपद	नागर निकाय का नाम	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश एवं दिनांक	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त/ आगामी किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	गाजियाबाद	नगर पालिका परिषद, लोनी	35/2015/876/नौ-5-15-358बजट /2014-3 दिनांक 27.02.2015	40.00	20.00	8.02
			योग			**8.02**
1	कानपुर देहात	नगर पंचायत, झींझक	243/2015/4026/नौ-5-15-45बजट/ 2015 दिनांक 16.07.2015	39.36	19.68	10.68
2	कानपुर देहात	नगर पंचायत, झींझक	244/2015/4026(2)/नौ-5-15-45बजट/ 2015 दिनांक 16.07.2015	223.00	161.50	11.35
			योग			**22.03**
			सम्पूर्ण योग			**30.05**

(रू0 तीस लाख पांच हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्थाद्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

(5) प्रश्नगत निकायों को जिन शासनादेशों के माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्न की धनराशि अवमुक्त की गयी है, उन शासनादेशों में उक्त के अतिरिक्त उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि में से रू0 8.02 लाख का व्यय का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक, *लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा।

तथा रू0 22.03 लाख का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक *"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-64/2016/1107(2)/नौ-5-16-125बजट/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- सम्बन्धित अध्यक्ष, नगर निकाय, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-29/03/2016

प्रेषण संख्या:- 64

आवंटन आदेश संख्या:- 001-64-2016-1107-9-5-16-125B-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	गाजियाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	802000 802000	802000 802000
	योग	वर्तमान प्रगामी	802000 802000	802000 802000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया आठ लाख दो हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया आठ लाख दो हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-29/03/2016

प्रेषण संख्या:- 64

आवंटन आदेश संख्या:- 001-64-2016-1107-9-5-16-125B-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	कानपुर देहात-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2203000 17197000	2203000 17197000
	योग	वर्तमान प्रगामी	2203000 17197000	2203000 17197000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बाइस लाख तीन हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ इकत्तर लाख सत्तानवे हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी